परिशिष्ट 62 [21/3/2022]

प्रश्न सं. [क्र. 3170]

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन भोपाल–462004

क्रमांक /4002/ 61 / मंत्री / शाखा 3 / 2020 भोपाल, दिनांक 18/3/2020

प्रति,

समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
मध्यप्रदेश ।

विषय:– क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त जबलपुर के प्रकरण क्र. 1641495 के संबंध में (महाविद्यालय में कार्यरत स्ववित्तीय / स्वशासी मद से जिलाध्यक्ष दर पर कार्यरत दैनिक श्रमिकों के लिए) ।

संदर्भ:– (1) भारत सरकार द्वारा जारी इम्प्लॉई प्रोवीडेन्ड फण्ड और मिसलेनियस प्रोवीजन एक्ट–1952
(2) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का पत्र दिनांक 29 अगस्त 2014

---00---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहें। उक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार यदि किसी महावि. स्थापना में 20 या उससे अधिक अधिकारी / कर्मचारी कार्यरत है तथा जिनका GPF / FPF का कटौत्रा नहीं हो रहा है। उन कर्मचारियों का EPF कटौत्रा किया जाना बंधन कारी होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्हें वेतन के रूप में रू 15000(रू पन्द्रह हजार मात्र) तक प्राप्त हो रहा है उन सभी का EPF अंशदान नियोक्ता द्वारा 12 प्रतिशत तथा कर्मचारी अंशदान 12 प्रतिशत रहेगा ।

कृपया उपरोक्तानुसार एवं संदर्भित पत्रों का पूर्ण सावधानी के परीक्षण कर उक्त स्कीम के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी का अंशदान कटौत्रा, आवंटित शीर्ष आदि में जमा करने की कार्यवाही नियमानुसार करें। उल्लेख है कि जिन कर्मचारियों का पारिश्रमिक भुगतान जिस मद से हो रहा है EPF का संस्था का अंशदान भी उसी मद से किया जाऐ। बार–बार मार्गदर्शन प्राप्त करने की चेष्टा से बचे एवं अनावश्यक पत्र व्यवहार न करें

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित।

18.3.2020
(डॉ0 पी.एल. सनोडिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृष्ठांकन क्रमांक /4003/ 61 / मंत्री / शाखा 3 / 2020 भोपाल, दिनांक 18/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. अवर सचिव म.प्र. शासन उ.शि.वि. वल्लभ भवन भोपाल
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उ.शि. म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करना चाहें।
3. रीजनल आयुक्त–1 पी.एफ.(पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार भविष्य निधि भवन , 14 भीकामी गामा प्लेस न्यू दिल्ली)
---- की ओर सूचनार्थ प्रेषित

18.3.2020
(डॉ0 पी.एल. सनोडिया)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश